



Teachers Federation of India

Office : 87/9 Shikshak Bhawan, Risaldar Park, Lal Kuwan, Lucknow-226018

e-mail : teachersfederationofindia@gmail.com

website -www.tfiindia.org

Dr. Dinesh Chandra Sharma

President

9758111222

Shiv Shankar Pandey

Treasurer

9415435196

Ram Murti Thakur

General Secretary

9431734389

Letter No.

Date :

सेवा में,

श्री.....

माननीय सांसद

लोक सभा क्षेत्र.....

विषय : एन.सी.टी.ई. द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2010 को निर्धारित **minimum qualification** के पैरा 4 को माननीय संसद द्वारा पारित कराकर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि “निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009” दिनांक 27 अगस्त 2009 को प्रकाशित किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण इस अधिनियम के सेक्सन 23 में किया गया है जोकि निम्नवत है :-

The Gazette of India No. 39 Dated August 27, 2009

23.(1) Any person possessing such **minimum qualification**, as laid down by an academic authority, authorised by the Central Government by notification, shall be eligible for appointment as a teacher.

(2) Where a State does not have adequate institutions offering courses or training in teachers education, or teachers possessing **minimum qualifications** as laid down under sub-section (1) are not available in sufficient numbers the Central Government may, if it deems necessary, by notification, relax the **minimum qualifications** required for appointment as a teacher for such period not exceeding five years, as may be specified in that notification.

Provided that a teacher who at the commencement of this act, does not possess **minimum qualification** as laid down under sub-section(1), shall acquire such **minimum qualifications** within a period of five years.

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिनांक 09 अगस्त 2017 को किये गये संशोधन के द्वारा अधिनियम के सेक्सन 23(2) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा गया :-

The Gazette of India No. 34 Dated August 10, 2017

1.(1) This Act may be called the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2017

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2015.



Teachers Federation of India

Office : 87/9 Shikshak Bhawan, Risaldar Park, Lal Kuwan, Lucknow-226018

e-mail : teachersfederationofindia@gmail.com

website -www.tfiindia.org

Dr. Dinesh Chandra Sharma

President



9758111222

Shiv Shankar Pandey

Treasurer



9415435196

Ram Murti Thakur

General Secretary



9431734389

Letter No.

Date :

2. In the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 in section 23, in Sub-section (2), after the proviso the following proviso shall be inserted namely :-

"Provided further that every teacher appointed or in position as on the 31st March, 2015, who does not possess **minimum qualifications** as laid down under sub-section (1), shall acquire such **minimum qualification** within a period of four years from the date of commencement of the Right of Children to Free Compulsory Education (Amendment) Act, 2017."

उपरोक्त अधिनियम में कहीं भी TET (Teacher Eligibility Test) का उल्लेख नहीं किया गया है। अधिनियम में मात्र **minimum qualification** शब्द का उल्लेख किया गया है, परन्तु सम्पूर्ण अधिनियम में **minimum qualification** को किसी भी स्थान पर परिभाषित नहीं किया गया है। अधिनियम के सेक्शन 23(1) के अनुसार **minimum qualification** के निर्धारण अथवा परिभाषित करने का अधिकार Academic Authority को दिया गया है। इसके अनुसार एन.सी.टी.ई. द्वारा दिनांक 23-08-2010 को **minimum qualification** का निर्धारण किया गया है, जोकि निम्नवत है :-

The Gazette of India No. 215 Dated August 25, 2010

1. Minimum Qualifications:

(i) For Classes I-V:

(a) Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and a 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and a 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), obtained in accordance with the NCTE (Recognition, Norms and Procedure) Regulations, 2002

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and a 4-year Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and a 2-year Diploma in Education (Special Education)

AND

(b) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET) conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.



Reg.No. - 05591

Phone No.:0522-2630676, 2630077

Teachers Federation of India

Office : 87/9 Shikshak Bhawan, Risaldar Park, Lal Kuwan, Lucknow-226018

e-mail : teachersfederationofindia@gmail.com

website -www.tfiindia.org

Dr. Dinesh Chandra Sharma

President



9758111222

Shiv Shankar Pandey

Treasurer



9415435196

Ram Murti Thakur

General Secretary



9431734389

Letter No.

Date :

(ii) For Classes VI-VIII:

(a) B.A./B.Sc. and a 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

B.A./B.Sc. with at least 50% marks and a 1-year Bachelor of Education (B.Ed.)

OR

B.A./B.Sc. with at least 45% marks and a 1-year Bachelor of Education (B.Ed.), obtained in accordance with the NCTE (Recognition, Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and a 4-year Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and a 4-year B.A./B.Sc.Ed. or B.A.Ed./B.Sc.Ed.

OR

B.A./B.Sc. with at least 50% marks and a 1-year B.Ed. (Special Education)

AND

(b) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET) conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE.

2. Diploma/Degree Course in Teacher Education:

For the purpose of this notification, only those Diploma/Degree courses in Teacher Education recognized by the National Council for Teacher Education (NCTE) shall be considered valid. For Diploma in Education (Special Education) and B.Ed. (Special Education), only courses recognized by the Rehabilitation Council of India (RCI) shall be valid.

3. Special Mandatory Training:

(a) A person having B.A./B.Sc. with at least 50% marks and B.Ed. qualification shall be eligible for appointment to Classes 1 to 5 up to 1st January 2012, provided that he/she undergoes a 6-month special training in Elementary Education recognized by the NCTE after appointment.

(b) A person having D.Ed. (Special Education) or B.Ed. (Special Education) qualification shall be required to undergo a 6-month special training in Elementary Education recognized by the NCTE after appointment.



Teachers Federation of India

Office : 87/9 Shikshak Bhawan, Risaldar Park, Lal Kuwan, Lucknow-226018

e-mail : teachersfederationofindia@gmail.com

website -www.tfiindia.org

Dr. Dinesh Chandra Sharma

President

9758111222

Shiv Shankar Pandey

Treasurer

9415435196

Ram Murti Thakur

General Secretary

9431734389

Letter No.

Date :

4. Teachers Appointed Before the Date of this Notification:

The following categories of teachers appointed for Classes I to VIII before the date of this notification are not required to acquire the minimum qualifications prescribed in (1) above:

(a) Teachers appointed on or after 3rd September 2001 in accordance with the NCTE (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 (as amended from time to time).

However, teachers of Classes 1 to 5 possessing B.Ed. qualification, or teachers possessing B.Ed. (Special Education) or D.Ed. (Special Education) qualification, shall be required to undergo a 6-month special training in Elementary Education recognized by the NCTE.

(b) Teachers of Classes 1 to 5 with B.Ed. qualification who had earlier completed a 6-month special basic teacher course (Special BTC) approved by the NCTE.

(c) Teachers appointed before 3rd September 2001 in accordance with recruitment rules.

5. Teachers Appointed After the Date of this Notification in Certain Cases:

If the process of appointment of teachers had been initiated by Governments, Local Authorities, or Schools by issuing an advertisement before the date of this notification, such appointments may be made in accordance with the NCTE (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 (as amended from time to time).

एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित की गयी उपरोक्त **minimum qualification** के पैरा 4 से स्पष्ट है कि इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व में नियुक्त हो चुके शिक्षकों की **minimum qualification** में TET (Teacher Eligibility Test) सम्मिलित नहीं है। अर्थात् इस अधिसूचना की तिथि 23-08-2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टी.ई.टी. से मुक्त रखा गया है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील संख्या 1385/2025 में दिनांक 01 सितम्बर, 2025 एवं दिनांक 29 मई, 2026 को दिये गये आदेश में एन.सी.टी.ई. द्वारा **minimum qualification** के निर्धारण दिनांक 23-08-2010 के पैरा 4 के अनुसार दिनांक 23-08-2010 से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को TET (Teacher Eligibility Test) से दी गयी छूट को अमान्य करते हुए **minimum qualification** में TET (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिससे देश भर में लगभग 25 लाख शिक्षकों की सेवा प्रभावित हो रही है।



Reg.No. - 05591

Phone No.:0522-2630676, 2630077

Teachers Federation of India

Office : 87/9 Shikshak Bhawan, Risaldar Park, Lal Kuwan, Lucknow-226018

e-mail : teachersfederationofindia@gmail.com

website -www.tfiindia.org

Dr. Dinesh Chandra Sharma

President

9758111222

Shiv Shankar Pandey

Treasurer

9415435196

Ram Murti Thakur

General Secretary

9431734389

Letter No.

Date :

देश में इससे पूर्व कभी भी किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी की विधिक नियुक्ति के उपरान्त लगभग 25-30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद सेवा के मध्य में ही किसी कर्मचारी/अधिकारी को सेवा में बने रहने हेतु कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं किया गया है। देश के उच्च सेवा संवर्ग I.A.S., I.P.S., अथवा राज्य स्तर पर P.C.S. अधिकारी को भी नियुक्ति हेतु परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नियुक्त होने के उपरान्त सेवा में बने रहने अथवा पदोन्नति हेतु किसी भी प्रकार की अन्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता की कोई व्यवस्था नहीं है।

किसी भी पद पर नियुक्ति हेतु **minimum qualification** सदैव रही है तथा समय-समय पर **minimum qualification** में परिवर्तन या संशोधन भी किया जाता रहा है परन्तु संशोधन उपरान्त नई **minimum qualification** को पूर्व में नियुक्त किसी भी कर्मचारी/अधिकारी पर लागू नहीं किया गया है। जैसे:- उच्च शिक्षा में प्रवक्ता के पद पर **minimum qualification** में **NET (National Eligibility Test)** तथा उत्तर प्रदेश राज्य में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु **minimum qualification** में **PET (Preliminary Eligibility Test)** सम्मिलित किया गया है, परन्तु **NET (National Eligibility Test)** या **PET (Preliminary Eligibility Test)** लागू करने की तिथि से पूर्व में नियुक्त हो चुके शिक्षक/कर्मचारियों पर लागू नहीं किया गया है।

इसी प्रकार जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्सन 23(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए NCTE द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2010 को शिक्षकों की भविष्य में होने वाली नियुक्तियों हेतु **minimum qualification** में **TET (Teacher Eligibility Test)** को सम्मिलित किया गया तो इसे लागू करने की तिथि से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को **TET (Teacher Eligibility Test)** की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है।

जिस प्रकार कानून के क्षेत्र में वकालत करने हेतु एल.एल.बी. एक Professional Degree है उसी प्रकार स्कूली शिक्षा में अध्यापन करने हेतु बी.एड./बी.टी.सी. एक Professional Degree है। कानून के क्षेत्र में एल.एल.बी. के साथ अधिवक्ता के रूप में कार्य अनुभव के आधार पर अधिवक्ताओं को माननीय उच्च न्यायालय में माननीय जस्टिस से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में माननीय मुख्य न्यायाधीश तक नियुक्ति एवं पदोन्नति दी जाती है तथा सेवा के मध्य में कोई भी नई परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता नहीं है। ऐसी स्थिति में बी.एड./ बी.टी.सी. की डिग्री के साथ गत 25-30 वर्षों से अध्यापन कर रहे अनुभवी अध्यापकों को सेवा में बने रहने हेतु सेवा के मध्य में **TET (Teacher Eligibility Test)** उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता लागू करना शिक्षकों के साथ न्याय नहीं है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट पूर्व में एक आदेश में स्पष्ट कर चुके हैं कि खेल के नियम बीच में नहीं बदले जायेंगे।



Reg.No. - 05591

Phone No.:0522-2630676, 2630077

Teachers Federation of India

Office : 87/9 Shikshak Bhawan, Risaldar Park, Lal Kuwan, Lucknow-226018

e-mail : teachersfederationofindia@gmail.com

website -www.tfiindia.org

Dr. Dinesh Chandra Sharma

President



9758111222

Shiv Shankar Pandey

Treasurer



9415435196

Ram Murti Thakur

General Secretary



9431734389

Letter No.

Date :

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संशोधन 2017 को लागू करने के समय तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा इस संशोधन के समय संसद में दिये गये वक्तव्य का वीडियो आज भी सुरक्षित है जिसमें उन्होंने केवल Professional Training देने हेतु इस संशोधन का उद्देश्य बताया है। माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी के वक्तव्य में कहीं भी TET (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण करने का उल्लेख नहीं हुआ है।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2017 को निर्गत पत्र भी केवल Professional Training देने के सम्बन्ध में निर्गत किया गया है। इस पत्र में कहीं भी TET (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण करने हेतु निर्देशित नहीं किया गया है। इसीलिए देश भर की किसी भी राज्य सरकार द्वारा TET (Teacher Eligibility Test) लागू करने की तिथि से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को TET उत्तीर्ण करने हेतु कोई भी शासनादेश अभी तक निर्गत नहीं किया गया था।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कहीं भी अधिनियम के लागू होने के पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को TET (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता लागू नहीं की गयी है, परन्तु माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2025 एवं 29 मई, 2026 में दिये गये आदेश में दिनांक 23-08-2010 से पूर्व में नियुक्त लगभग 25 लाख शिक्षकों पर भी TET (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है, अन्यथा की स्थिति में 01 सितम्बर 2028 को सभी शिक्षकों को सेवानिवृत्त करने का आदेश दिया है, जोकि शिक्षकों के साथ न्याय नहीं है।

Teachers Federation of India भारत के लाखों शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है। उपरोक्त के सम्बन्ध में Teachers Federation of India के सदस्यों द्वारा देश के सभी माननीय सांसदों एवं सभी जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को उपरोक्त के सम्बन्ध में ज्ञापन प्रेषित किये जा चुके हैं। श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार, श्री जितिन प्रसाद जी माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा उत्तर प्रदेश, श्री बृजेश पाठक जी मा0उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सहित विभिन्न सम्मानित जन प्रतिनिधियों के माध्यम से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है। देश के लाखों शिक्षकों ने दिनांक 04 अप्रैल, 2026 को राम लीला मैदान, नई दिल्ली में एकत्र होकर Teachers Federation of India के बैनर तले विशाल रैली की। Federation ने इस रैली में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मा0 सांसद जगदम्बिका पाल जी को आमंत्रित किया। श्री जगदम्बिका पाल जी के माध्यम से भी माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया जा चुका है, परन्तु अभी तक उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई भी



Reg.No. - 05591

Phone No.:0522-2630676, 2630077

Teachers Federation of India

Office : 87/9 Shikshak Bhawan, Risaldar Park, Lal Kuwan, Lucknow-226018

e-mail : teachersfederationofindia@gmail.com

website -www.tfiindia.org

Dr. Dinesh Chandra Sharma

President



9758111222

Shiv Shankar Pandey

Treasurer



9415435196

Ram Murti Thakur

General Secretary



9431734389

Letter No.

Date :

कार्यवाही न किये जाने से देश के लगभग 25 लाख शिक्षक एवं उनके करोड़ों परिजन चिन्तित एवं तनाव में हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2010 को निर्धारित **minimum qualification** के पैरा 4 को माननीय संसद द्वारा पारित कराकर अधिनियम में शामिल कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

आदर सहित!

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित

1. माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. माननीय शिक्षा मंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली।

भवदीय